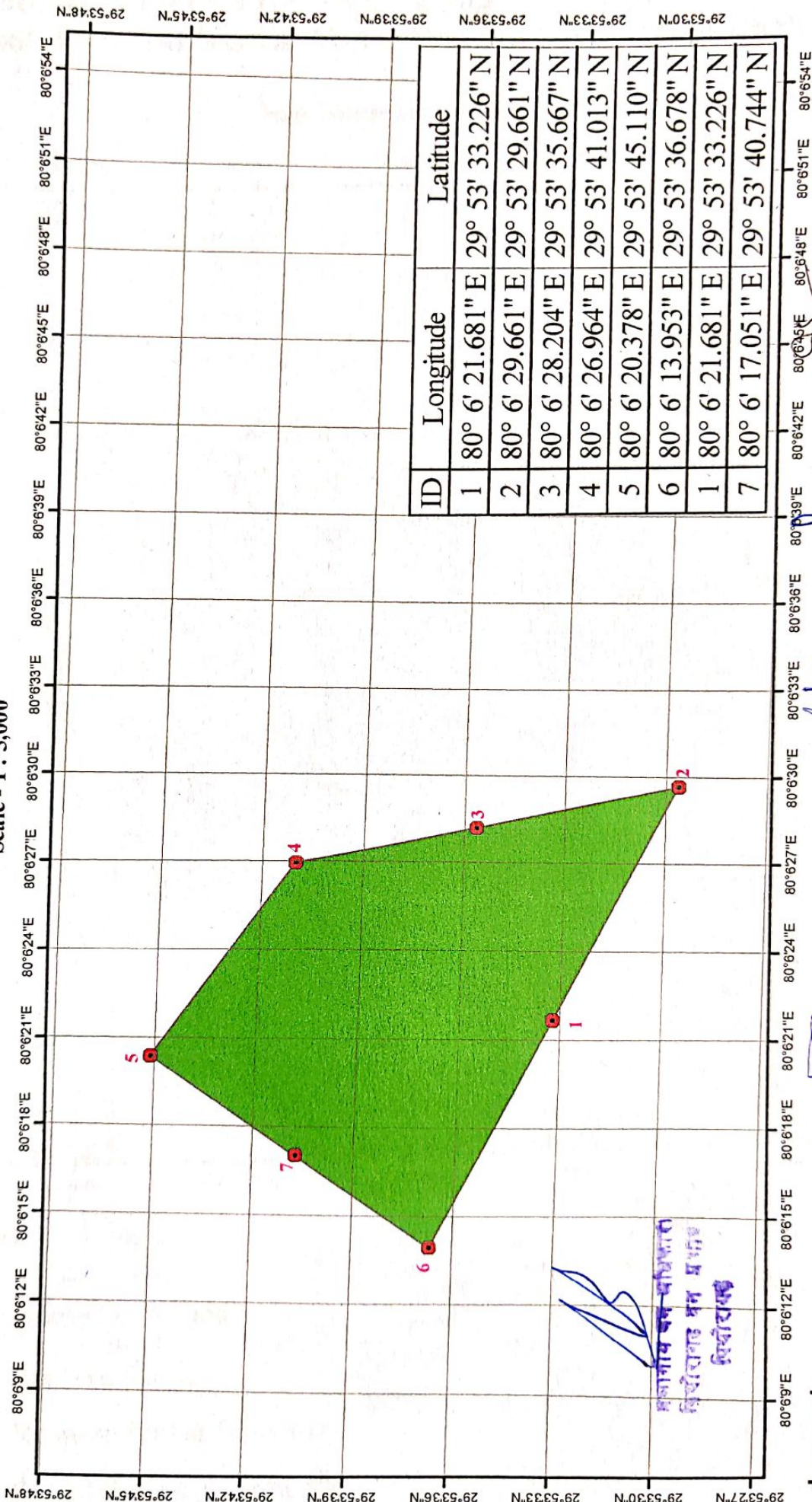


Geo Reference Map Of Propsed Ca Land For Haliyadob Lachhima Dasoli Okhrani Nachni Motor Road in Distt. Pithoragarh



0 0.025 0.05 1.00 Km

Scale - 1 : 5,000



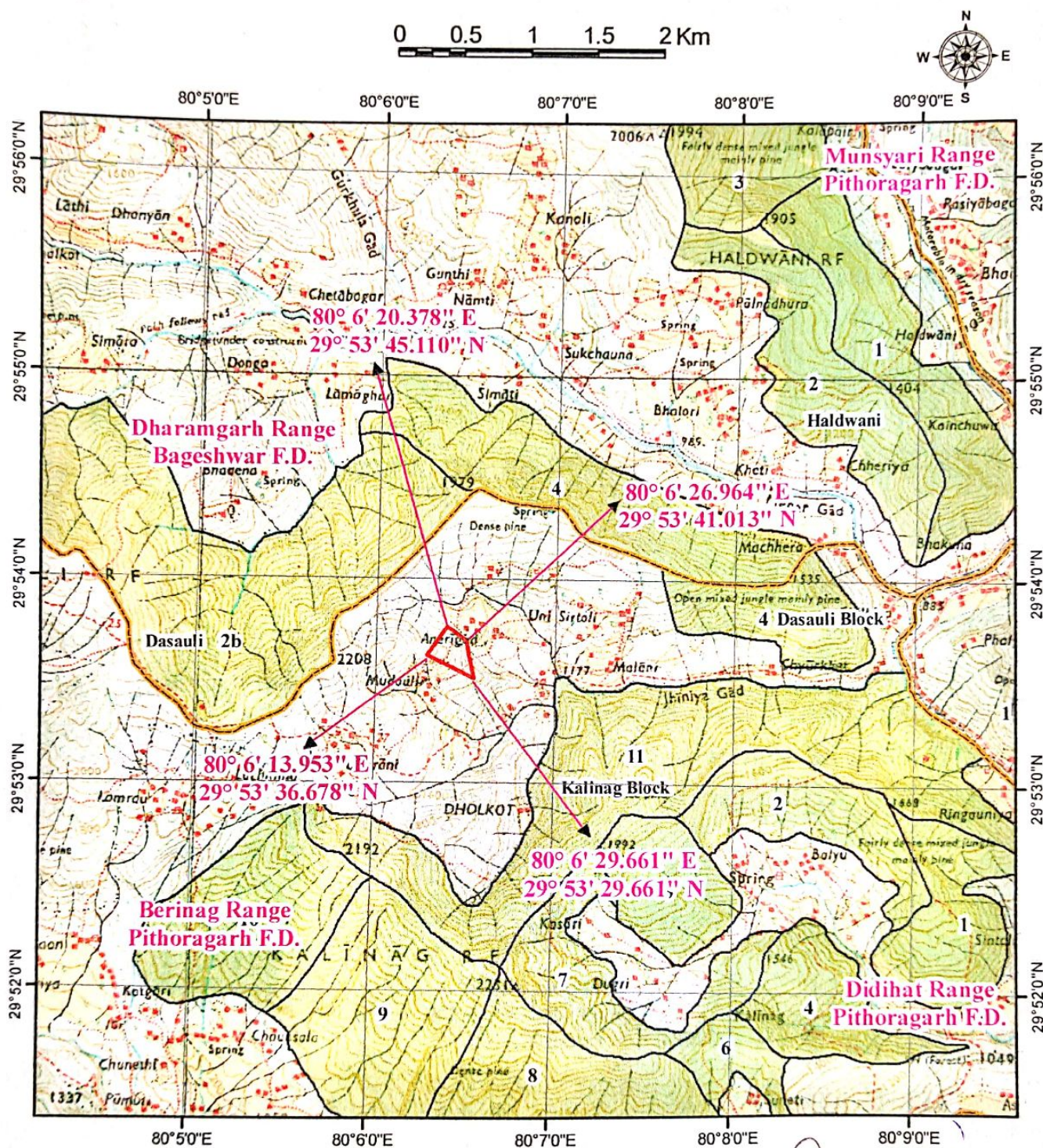
Legend

GPS Co ordinates

CA Land

पिथौरागढ़ जिला-पिथौरागढ़
राज्य-उत्तरांचल
सब-डिवीजन-पिथौरागढ़
तहसील-पिथौरागढ़
विकास क्षेत्र-पिथौरागढ़
ग्राम-पिथौरागढ़
उपजिलाधिकारी
पिथौरागढ़ जिला
वेरीनाम
अनुमति क्रमांक-पिथौरागढ़

**Geo Reference Map Of Propsed Ca Land For Haliyadob Lachhima
Dasoli Okhrani Nachni Motor Road in Distt. Pithoragarh**



Legend

-  Proposed CA Land
 Reserve Forest
 Reserve Forest Boundary
 Forest Range Boundary

संयुक्त अभियन्ता
अ० ख० नं० नि० वि०
(पिथौरागढ़)

अध्यापक अभियन्ता
अभ्यास १०० नि० वि०
वैरीनाग

उपजिला बरेली
बरेलीनाग
जिला पथौरागढ़

विद्योदायक



कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग



फोन नं०— 05964-244117 फ़ैक्स नं०—05964-244622 ई-मेल—eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक ०५ / 27सी
सेवा में,

दिनांक ०२ / ०१ / 2023

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषय:— जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग के अन्तर्गत हलियाडोव लछिमा ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 10.00 किमी० में पड़ने वाली 4.981 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

(प्रपोजल /FP/UK/ROAD/37472/2015)

संदर्भ:—भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आदेश संख्या 8बी./U.C.P./06/131 / 2020 / एफ.सी. / 1597 दिनांक 21.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :-

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.962 हे० गैर वानिकी भूमि ग्राम <u>उणी</u> सिरतोली सविल खसरा न०16,38,393,686,769.768, 1244, 1361 , 1427,1509,1691,1724,1872,1927.2346, 2487, 2556, 2559 ,2563 ,2676,2689,2691,2892,2831,2835,3094,3125,3149,3518,3580,3917,4023,418 2,4329,4510,4005,4003,4053,4146,4159,3796,3733 में वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। (ख) प्रस्तावित सी.ए. क्षेत्र में से 3.00 हे० MDF पाया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे वहां 1000 trees/ha की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है यदि नहीं हो guideline 8.11.17 के अनुसार अवनत वन क्षेत्र में 3.00 हे० क्षेत्र का चयन कर उसका विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करें जहां MDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा। (ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि आकस्मिक देयक के माध्यम से बाऊचर संख्या 88 दिनांक 24.03.2022 को वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। आकस्मिक देयक की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है। मान्य है। शर्त संख्या 3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 179/सात-05/2022-23 दिनांक 20.10.2022 द्वारा 9.962 हे० राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। आदेश की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

	विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	उक्त भूमि का दाखिल खारिज वनविभाग के नाम दर्ज कर लिया गया है। दाखिल खारिज की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। उक्त अनुपालन आख्या आन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	मान्य है।
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (PL- 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009- में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.981 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तित के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि आकस्मिक देयक के माध्यम से बाऊचर संख्या 88 दिनांक 24.03.2022 को वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। आकस्मिक देयक की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 101 वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
6	राज्य सरकार village wise break up में Non forest land का योग 5.067 हे0 करना सुनिश्चित करें।	मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh&nic&in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित / जमा किये जाएंगे।	मान्य है।
8	State Govt- will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11-2- The State Govt- will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission-	मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	मान्य है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	मान्य है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास	मान्य है।

	निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	
16	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।	मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017- FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।	मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जिवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य है।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	

0/c

भवदीय

[Signature]
02/01/2023

(इं० संजीव भट्ट)

अधिशाली अभियन्ता

अस्थायी खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग।
दिनांक 02/01/2023

पत्रांक

04 / 27सी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

2- अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।

0/c

[Signature]
02/01/2023

अधिशाली अभियन्ता

अस्थायी खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग।

02/01/23

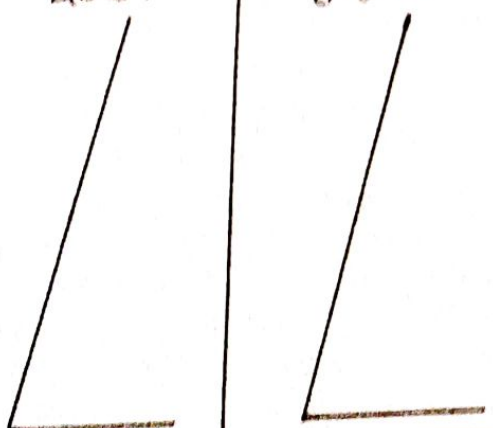
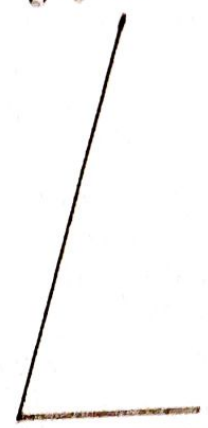
रकबा रक्बा नी (जै० व० वि०) ग्राम- जूनीसिरतोनी, पडी- ग्रामधल, तह- चतुर्धन नापि
विषय- ग्राम जूनीसिरतोनी अन्तर्गत दक्षिणी वृद्धारोपण हेतु चतुर्धन नापि विषय के सम्बन्ध

वाता सं०	नाम ग्रामिधर एवं धूमिकीमैनी	रकबा सं०	चौतणल (है०) में	विवरण
38	उत्तारखण्ड सरकार मैनी 9(3)3 बंजर कबिल प्रमाण-र.	16 30 122 ↓ 393 396 416 ↓ 686 688 689 ↓ 766 767 768 ↓ 1244 1246 1247 ↓ 1361 1368 1369 ↓ 1403 1419 1421 ↓ 1427 1430 1431 1447 ↓ 1509 1510 1515 ↓ 1682 1689 1691 ↓ 1724 1782 1789	0.580 0.123 0.013 ↓ 0.113 0.040 0.004 ↓ 0.085 0.006 0.005 ↓ 0.091 0.132 0.107 ↓ 0.460 0.066 0.028 ↓ 0.127 0.008 0.011 ↓ 0.060 0.030 0.014 ↓ 0.085 0.026 0.004 0.053 ↓ 0.378 0.043 0.025 ↓ 0.106 0.035 0.190 ↓ 0.203 0.033 0.008	पयावण एवं वन माला मगरत, सरकार के सहायक रकबा वन सं. 8 बी/मू. रा. रा. रा. 0.06/13/120/0/ रफ. सं. 1/997 दिनांक 21-10-2020 तथा वन मगरत ग्राम नगरपालिका ग-2 के वासनादेश सं. 213/10/ XVIII (11)/2012-18 (10)/2010 दिनांक 17-12-2012 में जारी गांवधल तथा चित्तारि कारी मगरत विषय के आदेश सं. 179/सात-05/ 2022-23 दिनांक 23-01-2022 2022 के मगरत ग्राम- जूनीसिरतोनी तह- पडी- ग्रामधल तह- चतुर्धन नापि मैनी 9(3)3 बंजर कबिल प्रमाण-र. के रकबा सं. 16 रकबा 0.580, 30 रकबा 0.123, 393 रकबा 0.113, 396 रकबा 0.040, 416 रकबा 0.004, 686 रकबा 0.085, 688 रकबा 0.006, 689 रकबा 0.005, 766 रकबा 0.091, 767 रकबा 0.132, 768 रकबा 0.107, 1244 रकबा 0.460, 1246 रकबा 0.066, 1247 रकबा 0.028, 1361 रकबा 0.127, 1368 रकबा 0.008, 1369 रकबा 0.011, 1403 रकबा 0.060, 1419 रकबा 0.030, 1421 रकबा 0.014, 1427 रकबा 0.085, 1430 रकबा 0.026, 1431 रकबा 0.004, 1447 रकबा 0.053, 1509 रकबा 0.378, 1510 रकबा 0.043, 1515 रकबा 0.025, 1682 रकबा 0.106, 1689 रकबा 0.035, 1691 रकबा 0.190, 1724 रकबा 0.203, 1782 रकबा 0.033, 1789 रकबा 0.008

उपसमूह एवं भूभाग की श्रेणी	संख्या क्र. पं.	क्षेत्रफल (हे.) में	विवरण
उपसमूह	1792 1793 1794 ↓ 1872 1873 1874 ↓ 1927 1976 2107 ↓ 2346 2380 2402 ↓ 2458 2470 2477 2487 2556 2559 2561 2563 2584 ↓ 2645 2676 2689 2691 ↓ 2812 2813 2814 ↓ 2831 2835 2867 ↓ 3092 3094 3125 3149 ↓ 3197 3325 3326 ↓ 3336 3364 3365	0.055 0.006 0.006 ↓ 0.475 0.006 0.004 ↓ 0.660 0.060 0.014 ↓ 1.332 0.014 0.005 ↓ 0.047 0.035 0.010 0.100 0.180 0.247 0.065 0.406 0.063 ↓ 0.076 0.240 0.145 0.228 ↓ 0.128 0.005 0.005 ↓ 0.187 0.137 0.010 ↓ 0.043 0.195 0.310 0.408 ↓ 0.067 0.008 0.008 ↓ 0.040 0.003 0.005	—

उपरोक्त

* 3518	0.240
3519	0.005
3520	0.005
↓	↓
* 3580	0.180
3583	0.015
✓ 3602	0.077
↓	↓
* 3733	0.073
3735	0.016
3745	0.005
↓	↓
* 3796	0.061
3805	0.005
3813	0.004
↓	↓
* 3917	0.142
3929	0.005
3938	0.004
↓	↓
* 4023	0.120
4025	0.009
4028	0.021
↓	↓
* 4053	0.065
4071	0.005
4081	0.004
* 4083	0.048
↓	↓
* 4146	0.040
4151	0.004
4152	0.008
↓	↓
* 4159	0.052
4169	0.020
4170	0.016
* 4182	0.190
↓	↓
* 4329	0.004
4331	0.004
4334	0.002
↓	↓

भूमिधार एवं भूमि की जाति	खपसरा सं०	क्षेत्रफल (चौ० मी०)	विवरण
उपरोक्त	४५१० ४५२८ ४५३७ 	०.०८५ ०.०७३ ०.०२८ 	-
गोश	३८६	१३.५२५ हे०	-

संलग्न

उद्धारण रक्ती नी तैयार किया

२०.१२.२०२२

(संजीव द्विवेदी)

संजिव उपनिवेशक

क्षेत्रफल ग्राम पंचायत

संजिव जिला-पिपरासगढ़

दि० २०.१२.२०२२

शर्त के 3 (3)

आदेश

2872
27 की
12/11/2022

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/131/2020/एफ.सी./1997 दिनांक 21.10.2020 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में हलियाडोब-लछिमा-ओखरानी-नाचनी मोटर मार्ग विस्तार में ली जा रही 4.981 हे० वन भूमि के बदले 9.962 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में हलियाडोब-लछिमा-ओखरानी-नाचनी मोटर मार्ग विस्तार में ली जा रही 4.981 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम उणीरिस्तोली पट्टी आमथल तहसील थल के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-38 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 16 रकवा 0.580 हे०, 30 रकवा 0.123 हे०, 393 रकवा 0.113 हे०, 886 मध्ये रकवा 0.060 हे०, 766 रकवा 0.091 हे०, 767 रकवा 0.132 हे०, 768 रकवा 0.107 हे०, 1244 रकवा 0.460 हे०, 1246 रकवा 0.066 हे०, 1361 रकवा 0.127 हे०, 1403 रकवा 0.060 हे०, 1427 रकवा 0.085 हे०, 1447 रकवा 0.053 हे०, 1509 रकवा 0.378 हे०, 1510 रकवा 0.043 हे०, 1682 रकवा 0.106 हे०, 1691 रकवा 0.190 हे०, 1724 रकवा 0.203 हे०, 1792 रकवा 0.055 हे०, 1872 रकवा 0.475 हे०, 1927 रकवा 0.660 हे०, 1976 रकवा 0.060 हे०, 2107 रकवा 0.014 हे०, 2346 रकवा 1.332 हे०, 2458 रकवा 0.047 हे०, 2487 रकवा 0.100 हे०, 2556 रकवा 0.180 हे०, 2559 रकवा 0.247 हे०, 2561 रकवा 0.065 हे०, 2563 रकवा 0.406 हे०, 2584 रकवा 0.063 हे०, 2645 रकवा 0.076 हे०, 2676 रकवा 0.240 हे०, 2689 रकवा 0.145 हे०, 2691 रकवा 0.228 हे०, 2812 रकवा 0.128 हे०, 2831 रकवा 0.187 हे०, 2835 रकवा 0.137 हे०, 3092 रकवा 0.043 हे०, 3094 रकवा 0.195 हे०, 3125 रकवा 0.310 हे०, 3149 रकवा 0.108 हे०, 3197 रकवा 0.067 हे०, 3336 रकवा 0.040 हे०, 3518 रकवा 0.240 हे०, 3580 रकवा 0.180 हे०, 3602 रकवा 0.077 हे०, 3733 रकवा 0.073 हे०, 3796 रकवा 0.061 हे०, 3917 रकवा 0.142 हे०, 4023 रकवा 0.120 हे०, 4053 रकवा 0.065 हे०, 4083 रकवा 0.048 हे०, 4146 रकवा 0.040 हे०, 4159 रकवा 0.052 हे०, 4182 रकवा 0.190 हे०, 4329 रकवा 0.004 हे०, 4510 रकवा 0.085 हे०, कुल 58 खेतों की 9.962 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, थल स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक अक्टूबर, 19, 2022

(डॉ० आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 199 /सात- 05 /2022-23

दिनांक अक्टूबर, 20, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी बेरीनाग।
4. तहसीलदार थल को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० बेरीनाग, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में लो0नि0वि0 अन्तर्गत हलियाडोव-लछिमा-ओखरानी-नाचनी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु किमी 4.981 हे0 वन वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 वेरीनाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम उणीसिरतोली पट्टी आमथल तहसील थल के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता सं0-38 श्रेणी-9(3)ड़ वंजर काबिल आबाद के खेत सं0 16 मध्ये रकवा 0.580 हे0, 30 रकवा 0.123 हे0, 393 रकवा 0.113 हे0, 886 मध्ये रकवा 0.060 हे0, 766 रकवा 0.091 हे0, 767 रकवा 0.132 हे0, 768 रकवा 0.107 हे0, 1244 रकवा 0.460 हे0 1246 रकवा, 0.066 हे0, 1361 रकवा 0.127 हे0, 1403 रकवा 0.060 हे0, 1427 रकवा 0.085 हे0, 1447 रकवा 0.053 हे0, 1509 रकवा 0.378 हे0, 1510 रकवा 0.043 हे0, 1682 रकवा 0.106 हे0, 1691 रकवा 0.190 हे0, 1724 रकवा 0.203 हे0, 1792 रकवा 0.055 हे0, 1872 रकवा 0.475 हे0, 1927 रकवा 0.660 हे0, 1976 रकवा 0.060 हे0, 2107 रकवा 0.014 हे0, 2346 रकवा 1.332 हे0, 2458 रकवा 0.047 हे0, 2487 रकवा 0.100 हे0, 2556 रकवा 0.180 हे0, 2559 रकवा 0.247 हे0, 2561 रकवा 0.065 हे0, 2563 रकवा 0.406 हे0, 2584 रकवा 0.063 हे0, 2645 रकवा 0.076 हे0, 2676 रकवा 0.240 हे0, 2689 रकवा 0.145 हे0, 2691 रकवा 0.228 हे0, 2812 रकवा 0.128 हे0, 2831 रकवा 0.187 हे0, 2835 रकवा 0.137 हे0, 3092 रकवा 0.043 हे0, 3094 रकवा 0.195 हे0, 3125 रकवा 0.310 हे0, 3149 रकवा 0.108 हे0, 3197 रकवा 0.067 हे0, 3336 रकवा 0.040 हे0, 3518 रकवा 0.240 हे0, 3580 रकवा 0.180 हे0, 3602 रकवा 0.077 हे0, 3733 रकवा 0.073 हे0, 3796 रकवा 0.061 हे0, 3917 रकवा 0.142 हे0, 4023 रकवा 0.120 हे0, 4053 रकवा 0.065 हे0, 4083 रकवा 0.048 हे0, 4140 रकवा 0.040 हे0, 4159 रकवा 0.052 हे0, 4182 रकवा 0.190 हे0, 4329 रकवा 0.004 हे0, 4510 रकवा 0.085 हे0 कुल 58 खेतों की 9.962 हे0 सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 179/सात-05/2022-23 दिनांक 20.10.2022 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।


प्रभाषी वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।


वन क्षेत्राधिकारी
वेरीनाग


(कुमाऊँ वन)
उ.प्र.
पिथौरागढ़